248
360

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर
===

क्रमांक/प-12/12/3/राजस्व/96/ 1093

दिनांक: 27/2/99

आदेश अन्तर्गत धारा 24 वन्य जीव संरक्षा
अधिनियम 1972 बाबत् राष्ट्रीय घड़ियाल
अभ्यारण में अधिकारों का निर्धारण ।

मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक:एफ/सी डब्लू एल डब्लू/12999 दिनांक 1.10.97 एवं उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा के फैक्स सन्देश एफ/राज/उवस/वजी/96/6505 दिनांक 16.10.97 एवं एफ/उवस/वजी/6529 दिनांक 17.10.97 के द्वारा जिले में राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 21 की कार्यवाही हेतु निवेदन किया । इस कार्यालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 21 के तहत अधिघोषणा क्रमांक: एफ-12/12/3/राजस्व/3956 दिनांक 21.10.97 निम्न प्रकार से जारी की गई:-

"..... §अ§ आशय स्थान की स्थिति सीमाऐं:- चम्बल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सीमा बनाती है वहाँ नदी की मध्य धारा से आगे किनारे तक तथा नदी के आगे किनारे के साथ-साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के विभाजक बिन्दु तक का 1000 मीटर की दूरी से भीतर स्थित भूमि की पट्टी इसमें इस जिले के निम्नलिखित गांवों में सीमाऐं आती है :- 1. शंकरपुरा 2. सिरौना 3. मदनपुरा 4. सोने का बुर्ज 5. तेवरपाली 6. [illegible] कोटरा 7. पुरा करनसिंह 8. [illegible] 9. [illegible]पुरा 10. मौरोली 11. बिछिया 12. धौलपुर

§ब§ धारा 19 में उल्लेखित कोई अधिकार या दावा करने वाला व्यक्ति ऐसी घोषणा होने की तारीख में दो माह में विहित प्रपत्र में अपना दावा लिख कर पेश करेगा जिससे ऐसे अधिकार लक्षण एवं प्रसार स्पष्ट किया जावेगा और उसके विवरण एवं मुआवजे की राशि और विवरण यदि मांग की गई है, का आवश्यक विवरण दिये जाने का समय दिया गया । . . . . "

उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी धौलपुर ने अपने पत्रांक एफ/पोए/उवस/98-99/100 दिनांक 21.8.98 से अवगत कराया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 21 के तहत चम्बल नदी घड़ियाल अभ्यारण की उद्घोषणा की गई है, पूर्व के राज्य सरकार द्वारा धारा 18 के तहत क्षेत्र को अभ्यारण घोषित करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई थी इस अधिसूचना के तहत [illegible] धारा से

मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य की चम्बल नदी विभाजन रेखा से 1000 मीटर तक का सम्पूर्ण क्षेत्र अभ्यारण घोषित किया गया था उप वन्य जीव प्रतिपालक कोटा द्वारा जिला कलक्टर धौलपुर को 12 गांवों की सूची उपलब्ध कराई गई, जिनकी सीमायें घड़ियाल अभ्यारण क्षेत्र में आती है। उक्त गांवों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि अभ्यारण क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा तक विद्यमान है। उन्होंने मुख्य वन संरक्षक एंव मुख्य वन जीव प्रतिपालक जयपुर से 21.8.98 को वास्तविक संशोधित उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश की है। अतः जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से अधिघोषणा क्रमांक: प-12/12/3/ राजस्व/96/6817-7020 दिनांक 22 सितम्बर 98 निम्न प्रकार से जारी की गई।:-

"........(अ) आशय स्थान की स्थिति सीमायें:- चम्बल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सीमा बनाती है, वहां नदी की मध्य धारा से आगे किनारे तक तथा नदी के आगे किनारे के साथ-साथ राजथान, उत्तार प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के विभाजक बिन्दू तक का 1000 मीटर की दूरी से भीतर स्थित भूमि की पट्टी।

(ब) धारा 19 में उल्लेखित कोई अधिकार या दावा करने वाला व्यक्ति ऐसी घोषणा होने की तारीख से दो माह में विहित प्रपत्र में अपना दावा लिख कर पेश करेगा जिससे ऐसे अधिकार के लक्षण एवं प्रकार स्पष्ट किया जावेगा और उसके विवरण एवं मुआवजे की राशि और विवरण, यदि मांग की गई है, का आवश्यक विवरण दिया जावेगा।......"

उक्त अधिघोषणा के जारी होने के बाद राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण क्षेत्र में निर्धारित अवधि में दिनांक 12.11.98 को एक प्रार्थना पत्र समस्त ग्रामवासी भमरौली ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम भमरौली में चम्बल नदी की मध्य धारा से 1000 मीटर तक कृषि भूमि अधिग्रहित कर घड़ियाल के लिये आरक्षित की गई ग्राम भमरौली के निवासी कृषि पर निर्भर है, मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि के अलावा आमदनी का कोई साधन नहीं है।

2- ग्राम भमरौली की उत्तम उपजाऊ भूमि घड़ियाल के लिए आरक्षित की जा रही है जिसमें दो फसलें रबी एवं खरीफ की पैदा होती है। अगर उपरोक्त ग्रामों की भूमि आरक्षित कर दी गई तो 2000 व्यक्ति का जीवनयापन करने का साधन समाप्त हो जावेगा।

3- ग्राम तिपरा की चम्बल नदी से 1000 मीटर तक की दो फसली उत्तम उपजाऊ कृषि भूमि आरक्षित की जाती है तो 2000 व्यक्ति का जीवन यापन करने का साधन समाप्त हो जावेगा।

4- ग्राम अमरोली व तिघरा के व्यक्ति मवेशी पालन करके दूध व्यवसाय कर रहे हैं और कृषि भूमि के मवेशी पालन नहीं कर सकेंगे तथा दूध का व्यवसाय स्वतः ही नष्ट हो जायेगा । अतः 22.9.98 को जारी अधि-घोषणा निरस्त की जावे ।

अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय धौलपुर ने पत्रांक : अ0अ0/सि-2/से-2/96/2162 दिनांक 17.10.98 से पार्वती बांध निर्माण कार्य हेतु उचित एवं निर्धारित गुणवत्ता की रेती (सैण्ड) प्राप्ति हेतु मोरोली गांव के पास अनुमानित 3500 घन मीटर रेती निकालने हेतु पार्वती बांध का निर्माण कर रहे मै0 हरीशचन्द्रा (इण्डिया) लि0 दिल्ली को खनन पट्टा निर्धारित शुल्क जमा करके देने हेतु अनुरोध किया है। पार्वती बांध का निर्माण कार्य विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से सम्पन्न किया जा रहा है जिसके अनुमानित दिसम्बर 99 तक पूर्ण होने की सम्भावना बताई है । उक्त दोनों आपत्तियों पर उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी विभाग धौलपुर को पत्रांक प-12/12/3/राजस्व/96/ 9020-21 दिनांक 22.12.98 लिख कर टिप्पणी चाही गई । टिप्पणी प्राप्त नहीं होने पर उन्हें अंतिम स्मरण पत्र प-12/12/3/राजस्व/96/691 दिनांक 9 फरवरी 99 जारी कर दो दिन में टिप्पणी भेजने हेतु स्मरण कराया गया ।

उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर ने अपने पत्र एफ:सर्वे/उवत/98-99/1815 दिनांक 23.2.99 से राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण की घोषणा पर आपत्तियों के क्रम में अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत भैसेना, अमरोली, तिघरा, कासिमपुर के निवासियों द्वारा जो आपत्तियां उठाई गई हैं, वह युक्तिसंगत नहीं है । चम्बल नदी के मध्य धारा से 1000 मीटर की दूरी मुख्यतः रेतीली है, जहां पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है । काश्त की जमीन [illegible] स्थानों पर चम्बल नदी से काफी दूर है, इस प्रकार चम्बल अभ्यारण घोषित होने के पश्चात काश्तकारों को खेती करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की आशंका नहीं है । फिर भी किसी काश्तकार की भूमि आती है तो [illegible] करने के अधिकार दिये जा सकते हैं ।

उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर ने अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर को [illegible] मोरोली में उपलब्धता सुनिश्चित कराने जाने के सम्बन्ध में पत्र एफ/[illegible]/उवत/98-99/668-69 दिनांक 6.2.99 लिखा है। जिसमें 2.2.99 को अवैध रेती निकासी के सम्बन्ध [illegible] में आयोजित बैठक में मुरैना से पधारे घड़ियाल पार जिला अधिकारी द्वारा [illegible] में [illegible] से रेता निकालने का ठेका होने, [illegible] सम्बन्ध में [illegible]

सर्वेक्षण उनके द्वारा किये जाने एवं उक्त क्षेत्र में घड़ियालों को प्रजनन स्थल की जानकारी दी । क्षेत्र में काफी प्रदूषण व हलचल होने, क्षेत्र बजरी का ठेका देने हेतु उपयुक्त बताया गया । इस सम्बन्ध में मौरोली चम्बल क्षेत्र में इस प्रकार का उपयुक्तता सर्वेक्षण कराये जाने, उक्त क्षेत्र को घड़ियाल क्षेत्र से पृथक रखा जा सकने रेती की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु इस क्षेत्र का सर्वेक्षण मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक भोपाल के मार्फत घड़ियाल परियोजना अधिकारी मुरैना से कराने हेतु निवेदन किया है ।

अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड-2 धौलपुर के द्वारा पार्वती बांध के निर्माण कार्य हेतु चम्बल रेती की खान आवंटन करने के क्रम में मांग करने पर उपवन संरक्षक, सामाजिक वानिकी धौलपुर ने अपने पत्र :एफ/सर्वे/उवस/98-99/ 1841 दिनांक 23.2.99 से अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 2274 में 17 है0 क्षेत्र रेत निकास हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है, उक्त स्थान मौरोली गांव के निकट है इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति विशेष/ विभाग को क्षेत्र में अधिकार दिया जाना उचित नहीं होगा अपितु राज्य सरकार इस क्षेत्र पर अपना अधिकार सुरक्षित रखे/। अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2 के आवेदनानुसार मै0 हरीशचन्द्रा ...लि0 113 ... नगर नई दिल्ली को रेती का ठेका दिया जाना उचित नहीं रहेगा ।

खनि अभियन्ता धौलपुर ने अपने पत्र : ख.अ./धौलपुर/निशा/बजरी/99/ 2 दिनांक 11.1.99से घड़ियाल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चम्बल नदी के किनारे की वास्तविक स्थिति की पुनः समीक्षा करवाने जहां-जहां बजरी की निकासी प्रचुर मात्रा में हो रही है । उन स्थानों को परियोजना से पृथक किये जाने हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक जयपुर से निवेदन किया है ।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति खारिज करते हुए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-24(2)(ब) के तहत राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र की सीमाओं में तय किये गये अधिकारों/रियायतों को यथावत रखते हुए निम्न अधिकार दिये जाने के आदेश देता हूँ ।

1- राजस्व भूमि पर ग्रामवासियों तथा पंचायतों को प्राप्त सार्वजनिक तथा निजी अधिकार जो कि राजस्व अभिलेखों में अंकित है, ... वनोपज की ... प्राप्त कर खरीदने या बेचने का अधिकार ।

2- अभयारण्य की उद्घोषणा से पूर्व बनाये गये रास्तों से अधिकार

3- धार्मिक स्थलों/पानि पीने के स्थानों आदि पर पूर्व से प्राप्त अधिकार

352

4- वन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करनेके बाद राज्य सरकार को भूमि की किस्म में रूपान्तरित करने के अधिकार

5- भविष्य में नियमानुसार अन्यत्र विस्थापित करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा ।

इन सभी अधिकारों का उपयोग-उपभोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के अधीन किया जावेगा ।

(अभय कुमार)
जिला कलक्टर
धौलपुर

224/236

कार्यालय जिला कलेक्टर, कोटा

क्रमांक/रीडर/डीरंम/98/2696 दिनांक:- 22/8/98

उपवन संरक्षक,
वन्य जीव, कोटा।

विषय :- अधीनस्थ अभ्यारणों के फाईनल नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि अभ्यारणों से संबंधित जारी अधिसूचना दि017-10-87 क्रमांक/5344, 5345, व 5346/पर प्राप्त आपत्तियों पर वन्य जीव अधिनियम 1972 के चेप्टर 4 के अन्तर्गत प्राप्त ~~xxxxx~~ आपत्तियों पर सुनवाई की जाकर दिनांक 21-8-98 को निर्णय पारित किया जा चुका है। निर्णय की प्रति (प्रमाणित प्रति) पत्र के साथ संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं अग्रणी कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
निर्णय दि0 21-8-98 की प्रति।

(Sd.)
कृते जिला कलेक्टर
कोटा

6902
27/8/98

प्रतिलिपि श्रीमान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(Sd.)
उप वन संरक्षक
वन्य जीव, कोटा

[illegible]

प्रकाशन आपत्तियाँ [illegible]

प्रकरण संख्या- 79/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री राजेन्द्र कुमार [illegible] आo [illegible]
मार्फत [illegible], कोटा।

प्रकरण संख्या-80/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री [illegible] हुसैन आo [illegible]
कुरैशी, [illegible] मस्जिद मुले गुलजार
कोटा।

प्रकरण संख्या- 81/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री [illegible] आo [illegible]
सूरजपोल, कोटा।

प्रकरण संख्या- 82/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible]
[illegible], [illegible], कोटा।

प्रकरण संख्या- 83/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी आo श्री आनन्द
सिंह, 130 वल्लभबाड़ी, कोटा।

प्रकरण संख्या-84/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- मैसर्स कोटा [illegible]
[illegible] प्रसाद [illegible],
1-डी-8, तलवंडी, कोटा।

प्रकरण संख्या-85/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री [illegible] आo [illegible]
ग्राम [illegible], [illegible]।

प्रकरण संख्या-86/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- ठेकेदार लालचन्द अग्रवाल, 121 [illegible]
[illegible] के, [illegible] गार्डन रोड,
शान्तिनगर, कोटा।

प्रकरण संख्या-87/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- ठेकेदार लालचन्द अग्रवाल, [illegible],
[illegible] के, [illegible] गार्डन रोड,
[illegible] कोटा।

प्रतिलिपि [illegible]

प्रकरण संख्या-88/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता - श्री [illegible] आo [illegible]
[illegible] 131, [illegible], कोटा।

प्रकरण संख्या-89/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री [illegible]
सूरजपोल, कोटा।

प्रकरण संख्या-90/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री [illegible]
[illegible], कोटा।

प्रकरण संख्या-91/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री [illegible] आo श्री [illegible]
[illegible], [illegible] रोड, शान्तिनगर, कोटा।

संख्या-92/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्रीमती [illegible] कौर पत्नी स्व0 श्री [illegible] सिंह, 63 वल्लभबाड़ी, कोटा।

प्रकरण संख्या-93/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- [illegible] लालचन्द अग्रवाल, 121 [illegible] महावीर [illegible] के, [illegible] मार्ग, रोड, शक्तिनगर, कोटा।

प्रकरण संख्या-94/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री जगदीश प्रसाद [illegible], मकान-1-डी-[illegible], तलवंडी, कोटा।

प्रकरण संख्या-95/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री हाजी [illegible] हुसैन आत्मज स्व0 श्री [illegible] अहमद कुरैशी, [illegible] मस्जिद [illegible] कोटा।

प्रकरण संख्या-96/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री नरेन्द्र विजयवर्गीय आत्मज श्री [illegible] विजयवर्गीय, वल्लभनगर, कोटा।

प्रकरण संख्या-97/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री मोहनलाल कैथूनीपोल, कोटा।

प्रकरण संख्या-98/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री राजेन्द्र सिंह [illegible] आत्मज श्री आनन्द सिंह, 130 वल्लभबाड़ी, कोटा।

प्रकरण संख्या-99/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- हाफिज [illegible] खाँ आत्मज श्री [illegible] खाँ ग्राम बोरखेड़ा, तह0 लाडपुरा, कोटा।

प्रकरण संख्या-100/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- प्रार्थीगण ग्राम दामोदरपुरा, तह0 लाडपुरा उपतहसील मण्डाना।

प्रकरण संख्या-101/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री पन्नालाल शर्मा आत्मज स्व0 श्री कन्हैयालाल शर्मा, ग्राम गिरधरपुरा, हाल पता- [illegible] योजना, कोटा।

प्रकरण संख्या-102/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री मोहनलाल शर्मा आत्मज स्व0 श्री [illegible] शर्मा, ग्राम गिरधरपुरा, जिला कोटा।

प्रकरण संख्या-103/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- प्रार्थीगण ग्राम कोलीपुरा एवं रायपुरा तहसील लाडपुरा जरिये [illegible]।

प्रकरण संख्या-104/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- सरपंच ग्राम पंचायत बोरखेड़ा तह0 लाडपुरा जिला कोटा।

प्रकरण संख्या-105/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री मोहनलाल [illegible] आत्मज श्री [illegible] कैथूनीपोल, कोटा।

प्रकरण संख्या-106/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री ... [illegible]

प्रकरण संख्या- 107/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- ग्राम ... जिला कोटा ... ग्राम धनावदपुरा तहसील ...पुरा

प्रकरण संख्या-108/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- ... रामानन्द सरस्वती, ... लोक कल्याण ... कोटा

प्रकरण संख्या-109/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- ग्राम ... ग्राम धनावदपुरा, तह0 ...पुर जिला कोटा।

प्रकरण संख्या-110/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- ... 408, ... कोटा।

प्रकरण संख्या-111/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- ... निवासी, ... जिला कोटा।

प्रकरण संख्या-112/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री ... 131, बल्लभ... कोटा।

प्रकरण संख्या-113/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री ...लाल ... निवासी ग्राम ...पुरा, ... [illegible]

प्रकरण संख्या-114/98 (विविध)

आपत्तिकर्ता- श्री आनन्दप्रकाश सिंह

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 21 के तहत जारी अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियां

उपस्थिति-

1- श्री ...
...
...

...
...
...
आपत्तिकर्ता।

निर्णय

दिनांक:- 21-8-98

... धारा 21 के तहत जारी ... वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ... 5346 दिनांक ...
... क्रमांक प-11(...)/97/5346

...10-97 पर उक्त सभी आपत्तिकर्ताओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। सभी आपत्तियों के निर्णायक बिन्दु एक समान होने से इन पर सुनवाई एक साथ की गई। यद्यपि एक साथ सुनी गई और इनका निराकरण भी एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रतिलिपि सभी पत्रावलियों के संलग्न की जावे।

प्रकरणों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधिसूचना क्रमांक/प-11-(230)राजस्व/97/5344 दिनांक 17-10-97 जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य के बाबत की है जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार हैं :-

उत्तर- कोटा डैम (जवाहर सागर) एवं कोटा डैम से बोराबास का रोड
पूर्व - बोराबास से रावतभाटा (राणा प्रताप सागर) डैम तक का रोड
दक्षिण- रावतभाटा डैम (रा०प्र०सा०) एवं रावतभाटा डैम से लोटियाना तक की रोड
पश्चिम- अम्बाराना, गुढ़ा राजपुरा, भुन्डार, पाडाझर, पीर मंगरा वन खण्ड की पश्चिमी सीमा एवं नासीर घाटा से लोटियाना तक की रोड।

उक्त सीमा के अभयारण्य तथा इसमें आने से संबंधित ग्रामों की स्थिति निम्न प्रकार है।

क्र0	नाम ग्राम	नाम तहसील
	बोराबास आबाद	लाडपुरा
1-	धोलनपुर गैरआबाद	लाडपुरा
2-	कोटबावड़ी गैरआबाद	लाडपुरा
3-	कोलीपुरा आबाद	लाडपुरा
4-	मोड़ी का गांव	लाडपुरा

अधिसूचना क्रमांक/प-11(230)राजस्व/97/5345 दिनांक 17-10-97 दर्रा अभयारण्य के बाबत है जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार हैं :-

पूर्व दिशा - आहू एवं काली सिन्ध नदियां
पश्चिम - चम्बल नदी
उत्तर - काली सिन्ध नदी से ग्राम गोलरी, रावठा, बांध बावड़ी, कोलीपुरा के सहारे सम्पूर्ण मुकन्दवाड़ा पर्वत श्रृंखला।
दक्षिण - काली सिन्ध से चम्बल तक घाटोली एवं पांची जागीर गांव के सहारे सम्पूर्ण मुकन्दवाड़ा पर्वत श्रृंखला।

उक्त सीमा के अभयारण्य तथा इसमें आने क्षेत्र के संबंधित ग्राम निम्न...

सत्य प्रतिलिपि
अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

क्र0	नाम ग्राम	नाम तहसील
1-	रावतड़िया गैर आबाद	लाडपुरा
2-	देवपुरा गैर आबाद	लाडपुरा
3-	रूपपुरा गैर आबाद	लाडपुरा
4-	सावरा आबाद	रामगंजमंडी
5-	अमझार आबाद	रामगंजमंडी
6-	मुकन्दरा आबाद	रामगंजमंडी
7-	दामोदरपुरा आबाद	लाडपुरा
8-	घाटोली आबाद	लाडपुरा
9-	बालाबांध आबाद	लाडपुरा
10-	डोलिया आबाद	लाडपुरा

	अजापा गैर आबाद	लाडपुरा
	बथीवानपुरा गैरआबाद	लाडपुरा
	बाछड़िया गैरआबाद	लाडपुरा
13-	बगुराचकला गैरआबाद	लाडपुरा
14-	बारकुंड गैरआबाद	लाडपुरा
15-	बगदाचखुर्द गैरआबाद	लाडपुरा
16-	रामपुरा गैरआबाद	लाडपुरा
17-	गिरधरपुरा आबाद	लाडपुरा

18- अधिसूचना क्रमांक/प-11(230)राजस्व/97/5346 दि० 17-10-97 राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के बाबत है जिसकी अवस्थिति तथा सीमाओं का विनिर्देश निम्न प्रकार है :-

1- जवाहर सागर बांध से कोटा बैराज तक का चम्बल नदी का वह अनुभाग जिसका प्रवाह दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर से । उसमें नदी के दोनों ओर के किनारों से 1000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी सम्मिलित है ।

2- केशोरायपाटन से पाली तक का चम्बल नदी का अनुभाग उसमें नदी के दोनों ओर के किनारों से 1000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी सम्मिलित है ।

3- पाली से आगे जहाँ चम्बल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सीमा बनाती है वहाँ नदी की मध्य धारा से बायें किनारे तक की तथा नदी के बायें किनारे के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के त्रिसंगम बिन्दु तक का 1000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी ।

उक्त अवस्थिति तथा सीमा से संबंधित ग्राम निम्न प्रकार हैं :-

	नाम ग्राम	नाम तहसील
1-	थोलनपुर	लाडपुरा
2-	मोरावदा	लाडपुरा
3-	जमुन्या	लाडपुरा
4-	रथकांकरा	लाडपुरा
5-	दौलतगंज उर्फ नया गाँव	लाडपुरा
6-	सिमपुरा	लाडपुरा
7-	[illegible]	लाडपुरा
8-	किशोरपुरा	लाडपुरा
9-	कुन्हाड़ी	लाडपुरा
10-	मांधड़ा	लाडपुरा
11-	गंगायचा	लाडपुरा
12-	रंगपुर	लाडपुरा
13-	देवली मच्छियान	लाडपुरा
14-	नोटाना	लाडपुरा
15-	मानसगांव	लाडपुरा
16-	भदाना	लाडपुरा
17-	मंडावरी	दीगोद
18-	कोटसुआ	दीगोद

--6/-

19-	बालापुरा	दीगोद
20-	चन्द्रावता	दीगोद
21-	ओंकारपुरा	दीगोद
22-	नीमोदा	दीगोद
23-	छीपड़दा	दीगोद
24-	बल्देवपुरा उर्फ श्योपुरा	दीगोद
25-	झातोली उर्फ किशनपुरा	दीगोद
26-	कल्या मंडावरा	दीगोद
27-	पीपल्दा खांड	दीगोद
28-	मदारिया	दीगोद
29-	गोरानी	दीगोद
30-	कुंठिया	दीगोद
31-	फतेहपुरा	दीगोद
32-	खेड़लीपुरा	दीगोद
33-	कोहरापुरा	दीगोद
34-	नीमोदा उजाड़	दीगोद
35-	सांगाखेड़ी	दीगोद
36-	पीपल्दा समेल	दीगोद
37-	खेड़ली नानेरा	पीपल्दा
38-	आमल्दा	पीपल्दा
39-	गैंता	पीपल्दा
40-	खेड़ली डाबा	पीपल्दा
41-	राजपुरा	पीपल्दा
42-	कीरपुरा	पीपल्दा
43-	नीमसरा	पीपल्दा
44-	ककरावता	पीपल्दा
45-	पाडा	पीपल्दा
46-	रामगंज	पीपल्दा
47-	ककरावदा	पीपल्दा
48-	रोड़गंज	पीपल्दा
49-	हरिपुरा	पीपल्दा
50-	भैरपुरा	पीपल्दा
51 ग्राना	खेड़ली पेमा	पीपल्दा
52-	टाकरवां	पीपल्दा
53-	गोवड़ाकलां	पीपल्दा
54-	भैरगढ़	पीपल्दा
55-	बेलपुरा	पीपल्दा
56-	भीमोला	पीपल्दा
57-	मिशाला	पीपल्दा
58-	धनोद	पीपल्दा
59-	बागली	पीपल्दा
60-	टीकरदा	पीपल्दा
	गोवड़ाखुर्द	पीपल्दा
	मवां	पीपल्दा
	केलोद	पीपल्दा
	श्योदानपुरा	पीपल्दा
	नयागांव	पीपल्दा

66- केन्द्र
67- गुड़ला पीपल्दा
पीपल्दा

जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य बाबत जारी अधिसूचना पर कुल 25 आपत्तियां प्रस्तुत हुई हैं जिनका उल्लेख निम्न प्रकार है -

जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य बाबत जारी अधिसूचना पर प्रकरण संख्या 79/98, 80/98, 81/98, 82/98, 83/98, 84/98, 85/98, 86/98, 87/98, 88/98, 89/98, 90/98, 91/98, 92/98, 93/98, 94/98, 95/98, 96/98, 97/98, 98/98, 99/98, 105/98, 106/98, व 112/98 के आपत्तिकर्ताओं ने समान बिन्दुओं पर आधारित आपत्ति प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है-

राज्य सरकार के गजट दिनांक 23-10-75 को प्रकाशित सूचना का ज्ञान नहीं था और न ही आपत्ति मांगी गई । खनन पट्टा नवीनीकरण सहित आरक्षित वन खण्ड में स्थित है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभाव में आने से पूर्व का है । .. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार खनन कार्य करने के सम्बन्ध में वन अधिनियम 1980 के तहत अनारक्षित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रखे हैं । [illegible] स्थान पर [illegible] [illegible] नहीं [illegible] । सम्पूर्ण खनन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई [illegible] नहीं है । पूरा क्षेत्र पथरीला है और वनस्पति का फैलाव [illegible] नहीं है । [illegible] आरक्षित एवं [illegible] आरक्षित के [illegible] किसी प्रकार की [illegible] वनस्पति नहीं है न ही वन्य जीव है । ऐसी स्थिति में वन्य जीव अभयारण्य में [illegible] करना न्यायोचित नहीं है ।

अधिसूचना के क्रियान्वयन पर खनन कार्य [illegible] । राजस्व की हानि सरकार को होगी तथा हजारों [illegible] रोजी का नुकसान होगा । अनारक्षित के बदले में जो भूमि मिलेगी वह वृक्षारोपण के योग्य भी होगी और [illegible] भी [illegible] । [illegible] क्षेत्र अभयारण्य व वृक्षारोपण के योग्य नहीं है । [illegible] किस्म का [illegible] निकलता है जो [illegible] है [illegible] के लिए उपयोगी है । [illegible] [illegible] मजदूर, [illegible] आदि बेरोजगार हो जायेंगे । [illegible] राज्य सरकार [illegible] होती है, 20 वर्षों से लगातार [illegible] रहे हैं । [illegible] वन [illegible] रोका नहीं है । [illegible] है । हमारी खानें इस अधिसूचना के अन्दर नहीं आती है । ये खानें जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर के बीच नदी के [illegible] में है व 400-500 फीट की ऊंचाई पर हैं सड़ी चट्टानें हैं । [illegible] नहीं [illegible] और पथरीला होने से [illegible] नहीं [illegible] और [illegible] 1000 [illegible] में [illegible], [illegible] जायज [illegible] आदि [illegible] नहीं है । [illegible] की उपलब्धता के [illegible] पट्टे आपस में जुड़े [illegible] में है । [illegible] आसानी से [illegible] जा सकता है । [illegible]

आदिवासी लोगों के साथ भी अन्याय होगा ।

इसके अतिरिक्त प्रकरण संख्या 106/98 की आपत्ति है कि ग्राम पंचायत बोरावास के सभी ग्रामों में 7-8 हजार निवासी हैं तथा उनकी रोजी रोटी के मुख्य साधन खानों पर मजदूरी, पशुपालन व दूध का व्यापार है । खानें 12/96 से बन्द हैं । मजदूरों के हित में खान एरिया को सेन्चुरी से बाहर कर दिया जावे । सेन्चुरी घोषित होने से चराई का साधन समाप्त हो जायेगा । पशुपालन कठिन हो जायेगा तो इससे दूध उत्पादन नहीं होगा । कोटा में दूध की कमी हो जायेगी । ग्रामवासियों की जलाऊ लकड़ी का मुख्य साधन सूखी पतली झाड़ियां हैं जिन्हें बीन कर सिर पर लाद कर लाते हैं । अधिसूचना के बाद यह नहीं मिल सकेगी । सूचना में आदिवासी भीलों व जनजाति तथा दूसरों के खातेदारी की जमीन है । अधिसूचना के बाद खेतों में जाना तथा रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो जायेगा । अभयारण में महत्वपूर्ण वन्य प्राणी नहीं है । अभयारण गांवों से 5-7 किलोमीटर दूर होना चाहिए । बोरावास गांव बहुत पुराना है । गांव खाली कराना अनुचित है । अतः अधिसूचना को निरस्त करें और सेन्चुरी घोषित नहीं करें ।

दरा अभयारण के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना पर प्रकरण संख्या 100/98, 101/98, 102/98, 103/98, 107/98, 108/98, 113/98, एवं 114/98, कुल 8 आपत्तिकर्ताओं ने अपनी आपत्तियां पेश की । प्रस्तुत आपत्तियों में ग्रामवासीगण दामोदरपुरा स्थाई निवासी हैं । पूर्वजों के समय से निवास करते आ रहे हैं । जमीन खेत खलिहान, पशुपालन व आय के अन्य साधन इसी गांव में हैं । बेदखल कर दिया गया तो विकट समस्या खड़ी हो जायेगी । दस्तावेजात कानूनी प्रक्रिया को समझने में असमर्थ होने के कारण तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ेगा इस कारण प्रस्तुत नहीं कर सके । दरा अभयारण में बहुत ही कम जंगली जानवर है । पशुपालन व काश्तकारी के अलावा अन्य जीविका का साधन नहीं है । अभयारण घोषित किये जाने के बाद हमारे पास पशुओं का अन्य कोई स्थान नहीं है । कोलीपुरा से दरा तक स्टेट टाईम का रास्ता है । लकड़ी काटकर, पशु चराकर जीवन यापन करते हैं । सेन्चुरी में चरोखी फूसनाथ देवनारायण का मंदिर है । कई ग्रामों की आस्था जुड़ी हुई है और मंदिर की 12 बीघा जमीन है । देवनारायण मंदिर ग्राम जालिमपुरा में स्थित को अभयारण क्षेत्र में नहीं लिया जावे । या मंदिर को देवस्थान विभाग को सौंप दिया जावे ताकि ग्रामवासियों की आस्था का हनन न हो । सन् 1988 में दामोदरपुरा खरलीबावड़ी लेन तक का मार्ग अकाल राहत में बनवाया गया था उसका भुगतान अभी नहीं मिला है । दरा अभयारण में भेड़ों की चराई पर सख्ती से पाबन्दी लगाई जावे । सेन्चुरी की सीमा गांव से 1-2 किलोमीटर दूरी पर हटाई जावे । उक्त क्षेत्र में काफी काश्त की जाती है । कुऐ खुदवाकर बिजली के पम्प, डीजल पम्पसेट आदि की व्यवस्था की है । फसल की सुरक्षा हेतु पक्की

सुविधाएं बनाई गई है। पानी, कॉटेज/मकान, पशु एवं कृषि उपकरण इकट्ठा करने के गोदाम बनाये गये हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर के डूब में आई बस्तियों एवं भूमि के काश्तकारों को उस क्षेत्र में कृषि भूमि दी गई एवं उन्हें बसाया गया। अभयारण्य हेतु ग्रामवासियों के मकानात एवं कृषि भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया तो सैंकड़ों परिवार बेघर हो जायेंगे। यदि अधिग्रहण किया जाता है तो आज की कीमत के आधार पर एक अरब रुपया दिलाया जावे। बिजली विभाग से कनेक्शन लेकर व्यवस्था की गई है। अभयारण्य की सुरक्षा की दृष्टि से गांवों का बना रहना आवश्यक है। यदि विशेष परिस्थिति एवं अपरिहार्य कारणों से गांवों को स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हो तो ग्रामवासियों को विश्वास में लेकर समान सुविधा वाला स्थान उपलब्ध कराया जावे। मकान व जमीन का उचित मुआवजा दिलाया जावे।

राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य की जारी अधिसूचना के सम्बन्ध में 3 आपत्ति प्रकरण संख्या 109/98, 110/98, व 111/98 प्राप्त हुई हैं। आपत्ति संख्या 111/98 में बस्ती के गरीब लोगों को तो रहने देने व धार्मिक स्थलों को बताते हुए उक्त प्रोजेक्ट को लोगों से बचाने बाबत अनुरोध किया है। आपत्ति संख्या 109/98 में घड़ियाल अभयारण्य का आरक्षण जनहित में न होना, कोलगढ़ से कोटा बैराज तक का क्षेत्र आबादी क्षेत्र होना, आबादी चम्बल तट से लगी होना बताते हुए अनावश्यक पीड़ा दायक बताया है। मोती बाग की ... क्षेत्र प्राचीन स्थल तथा चम्बल के जल स्तर से काफी ऊंचा होने से कोई जन्तु आरक्षण होना ठीक नहीं बताते हुए इस परिसर में उक्त योजना को लागू न करने का अनुरोध किया गया है।

आपत्ति संख्या 110/98 द्वारा मनमोहन जोत सिंह धालीवाल प्रस्तुत की गई है जिसमें पूर्व प्रस्तुत आपत्तियों के समान सम्बन्धी तथ्यों को आधारित बताया गया है। नदी के किनारों पर अभयारण्य की सीमा 100 मीटर से बढ़ाकर 200 मीटर की गई है। नदी का किनारा 200 फीट ऊपर बताया गया है जहां मगर मच्छ, घड़ियाल नहीं चढ़ सकते। [illegible] नहीं होने आदि आपत्तियों का उल्लेख करते हुए उक्त ... को अभयारण्य की सीमा से बाहर रखने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तीनों अभयारण्यों की अधिसूचना जारी होने पर प्राप्त आपत्तियों को दर्ज रजिस्टर किया गया। आपत्तिकर्ताओं को वास्ते सुनवाई एवं अपना पक्ष समर्थन हेतु नोटिस जारी किया गया। आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई की गई। उनकी बहस सुनी, विभागीय प्रतिनिधि उप वन संरक्षक, वन्य जीव कोटा की बहस सुनी। विभागीय प्रतिनिधि ने जारी अधिसूचना का समर्थन करते हुए तथा अधिसूचना उचित बताते हुए तर्क पेश किये हैं जो निम्न प्रकार है :-

विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया था एवं सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है। यही सर्वमान्य नियम है। अधिसूचना के पश्चात सभी को जानकारी हो गई है।

आपत्तिकर्ता ने खनन पट्टा स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं। बिना किसी दस्तावेजात के खनन पट्टा होने व उसकी अवधि स्वीकार योग्य नहीं है साथ ही खनन पट्टा कोई अधिकार नहीं है। खनन का मूल अधिकार राज्य सरकार में निहित है। इसी कारण खनन पट्टे को सरकार अवधि के बीच में भी निरस्त कर सकती है और नवीनीकरण के लिए बाध्य नहीं है। वर्ष 1980 में घोषित भारतीय वन सुरक्षा अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग भारत सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। खनिज विभाग ने अधिनियम 1980 के प्रावधानों का सही विवेचन नहीं किया। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका प्रस्तुत कर इस प्रक्रिया पर आपत्ति प्रस्तुत की व सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वर्ष 1980 के पश्चात वन क्षेत्रों में सभी गैर वानिकी कार्यों के लिए भारत सरकार की मंजूरी आवश्यक है। बिना भारत सरकार की मंजूरी के चल रहे गैर वानिकी कार्य तत्काल बन्द कर दिये जायें। यह आदेश दिनांक 12-12-96 को दिये गये। आदेश की प्रति पेश की हुई है। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 1980 के बाद अवैधानिक रूप से खनन कार्य किया गया है व स्वीकृतियां यदि कोई हैं तो वह मान्य नहीं। ... ... के अभयारण्यों में भारत सरकार ने अभी कोई स्वीकृति नहीं दी। ... के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर द्वारा किया गया था। कमेटी ने 10-7-97 को मौके का निरीक्षण किया ... खनन कार्य हेतु अनुमति नहीं दी जाने की अभिशंसा की। इस प्रकार आपत्तिकर्ता ... खनन सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं है। यह क्षेत्र नोटिफाइड आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित है। अतः राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 23 के अनुसार अब ... अधिकार इस क्षेत्र में अर्जित नहीं किये जा सकते ...

आपत्तिकर्ता के क्षेत्र में पाया जाने वाला मिनरल कोई दुर्लभ मिनरल नहीं है। इसकी पूर्ति जिले के बहुत सारे क्षेत्र से की जा रही है जो वन क्षेत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त इस मिनरल के विकल्प के रूप में अन्य पदार्थ उपलब्ध हैं। वास्तव में वृक्ष और वन्य जीव ऐसे पदार्थ हैं जो यहीं पनप सकते हैं और प्रकृतिकाल से यहाँ पर रह रहे हैं। इनका कोई विकल्प नहीं है और उन्हें यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। अनेक दुर्लभ वन्य जीव हैं जैसे बघेरा, घड़ियाल, मगरमच्छ, चिंकारा, अजगर आदि जो शिड्यूल-I के वन्य जीव हैं, एवं जिनका अस्तित्व ही खतरे में है। वास्तविकता तो यह है कि वन्य जीव जहाँ के यहीं पनप सकते हैं। इसी कारण विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर घड़ियाल व मगरमच्छों के प्रजनन व छोड़ने के लिए वर्ष 1975 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था।

यह क्षेत्र घने वनों के बीच में है जिसमें अनेकों प्रजाति के वृक्ष हैं। खनन बन्द होते ही यहाँ वनस्पति आ गई है। बघेरे, रीछ, चिंकारा व अनेक प्रकार के पक्षियों ने अपना स्थाई विचरण स्थल बना लिया है जो खनन के विस्फोट व खनन-कार्यों के पेड़ काटने से आसपास भाग गये थे। यह कहना सही नहीं है कि इस क्षेत्र में वन्य जीव नहीं है या वनस्पति नहीं है। वास्तव में घने वनों के बीच खनन के गड्ढे कोढ़ के रूप में है। इस क्षेत्र में अनेक दुर्लभ वन्य जीव हैं जिनमें बघेरा, सियार, लोमड़ी, जरख, साँभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, पक्षीगण, मगर आदि मुख्य हैं। यह क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण के लिए सर्वथा योग्य है व विशेषज्ञों की अनुशंसा पर ही इसे अभ्यारण घोषित किया गया था। विदेशी मुद्रा के लालच में हमारी वनों एवं वन्य जीवों की धरोहर को नष्ट होने नहीं दिया जाना चाहिए।

आपत्तिकर्ता ने करोड़ों रुपये खर्च करने का कोई आधार नहीं दिया है। वैसे भी वर्ष 1980 के पश्चात अनाधिकृत लाभ प्राप्त करने के लिए ही कोई कार्यवाही की होगी। खनन कार्य से वन्य जीवों का जीवन दुर्लभ हो गया है। उनका जीना खतरे में है और वे वन्यजीव जगह छोड़ भी नहीं सकते। जबकि आपत्तिकर्ताओं अर्थात मानव के पास जीविकोपार्जन के अनेक वैकल्पिक साधन व स्थान हैं।

वन्य जीव विभाग ने, सिंचाई विभाग ने व विद्युत मण्डल ने निरंतर खनन कार्य बन्द कराने हेतु प्रयास किया है। खनन कार्य को वन्य जीव मण्डल अभ्यारण के लिए विनाशकारी मानता रहा है। सिंचाई विभाग ने जवाहरसागर बाँध की भरण क्षमता पर दुष्प्रभाव के कारण आपत्ति की है व विद्युत मण्डल ने तथा उनके दिल्ली से आये अधिकारियों ने सुरक्षा सम्बन्धी विश्लेषण के उपरान्त [illegible] किलोमीटर दूरी तक खनन को सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक मानते हुए आपत्ति की है व विद्युत उत्पादन प्रभावित होने व मशीनरी पर दुष्प्रभाव के कारण आपत्ति की है। इस प्रकार यह कहना कि पहले किसी ने आपत्ति नहीं [illegible]

आपत्तिकर्ता द्वारा इस भूमि को वनीकरण के योग्य नहीं बताना सही नहीं है, अभ्यारण का मूल लक्ष्य वहाँ पाये जाने वाली मूल वृक्षों व वन्य जीवों की प्रजातियों को संरक्षित रखना है चाहे वह सूक्ष्म पौधे हों, घास हो, वट वृक्ष हो, सूक्ष्म जीव हो, कीड़े मकोड़े हों या बघेरा हो। खनन कार्य बन्द होते ही मूल पौधों व जीवों ने अपने स्थान पर पुनः बसेरा बना लिया है।

अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र का लक्ष्य केवल वृक्षारोपण नहीं है। वृक्ष तो भूमि व जलवायु के अनुसार कहीं भी लगाये जा सकते हैं वैकल्पिक स्थान पर भी लगाये जा सकते हैं परन्तु वैकल्पिक भूमि पर प्राकृतिक वन जैसा स्वरूप

—12/-

उत्पन्न नहीं किया जा सकता और [illegible] स्थान पर वन्य जीवों को बसाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता ।

जवाहर सागर अभ्यारण, घड़ियाल व मगरमच्छों के लिए तो है परन्तु अन्य वन्य जीवों के लिए नहीं है । यहाँ की प्राकृतिक वन सम्पदा के अतिरिक्त अनेक दुर्लभ वन्य जीव जैसे बघेरे, रीछ, सियार, लोमड़ी, सांभर, चीतल, नीलगाय, शिकारा आदि अनेकों प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना भी अभ्यारण का लक्ष्य है । अभ्यारण में घड़ियालों के प्रजनन, विचरण के लिए क्षेत्र है । यह नहीं कहा जा सकता कि घड़ियालों के प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान ही नहीं है । घड़ियाल व मगरमच्छ को छोड़ने के लिए भी यह अभ्यारण उपयुक्त सिद्ध हुआ है । जवाहर सागर अभ्यारण में 1000 मीटर की सीमा नहीं है । यह राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण के सम्बन्ध में है जिसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

आपत्तिकर्ता के क्षेत्र को बाहर निकालना सम्भव नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ दूर दूर तक घने वन हैं तथा इसके साथ ही दरा व राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण की सीमा लगी हुई है ।

सरपंच बोरावास ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है वह मान्य नहीं है । [illegible] इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पंचायत या पंचायत समिति में नहीं [illegible] और उससे अनुमोदन नहीं कराया, मात्र ही ऐसे [illegible] प्रस्ताव पारित [illegible] प्रस्ताव को प्रमाण प्रस्तुत किया गया है । अतः [illegible] अपने हस्ताक्षर से [illegible] ग्रामवासियों की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया मानना उचित नहीं है । [illegible] नहीं [illegible] ग्राम पंचायत की अपनी सीमा से बाहर [illegible] पंचायत समिति [illegible] ग्रामों को जोड़ दिया है । यह सभी कार्यवाही [illegible] अधिकार क्षेत्र से बाहर की है ।

आपत्तिकर्ता ने 7–8 हजार ग्रामवासियों का रहना बताया है । [illegible] में यह अधिकांश लोग जवाहर सागर अभ्यारण की स्थापना वर्ष 1975 [illegible] संरक्षित वन की घोषणा के पश्चात अनाधिकृत तौर से घुस गये हैं । अतः [illegible] [illegible] अधिकार स्वतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

[illegible] आपत्तिकर्ता [illegible] अभ्यारण में चराई [illegible] [illegible] अवैधानिक है । [illegible] विरुद्ध अभ्यारण में मवेशी चराई [illegible] में पूर्ण वैधानिक नियमों के विरुद्ध है । [illegible] अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

वन्य जीव यहाँ आदिकाल से रह रहे हैं जो हजारों व लाखों [illegible] पुराने कहे जा सकते हैं जबकि ग्राम नये हैं । [illegible] बोरावास ग्राम के [illegible] अधिकतर ग्रामवासी कुछ वर्षों पूर्व ही [illegible] व अन्य [illegible] जिलों से आकर बस गये हैं । [illegible] और [illegible] अनाधिकृत रूप से [illegible] कर रहे हैं [illegible]

—13/—

जनों व वन्य जीवों को भूखों से दूर [illegible] [illegible]

जंगल से लकड़ी काटकर या घास इकट्ठा कर बेचने का अधिकार नहीं है । [illegible] प्रकार श्री रंगलाल गूजर की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है ।

आपत्तिकर्ता श्री आनन्द प्रकाश सिंह ने अपने कब्जे की भूमि के सम्बन्ध में अधिकार सिद्ध करने के उद्देश्य से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये । श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत अधिकार स्वीकार योग्य नहीं है ।

कार्यालय की जानकारी के अनुसार श्री सिंह की भूमि पर [illegible] खातेदारी अधिकार नहीं है एवं राजस्व विभाग द्वारा उन्हें बेदखली की कार्यवाही की जा रही है । इनके द्वारा भूमि विकसित करने की जो बातें [illegible] उनका कोई प्रमाण नहीं है और अनाधिकृत भूमि पर होने से निर्माण भी अनाधिकृत ही होगा । आपत्तिकर्ता ने 40-50 वर्ष पूर्व [illegible] सड़क का निर्माण करना बताया है ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है यह अभ्यारण द्वारा निर्मित मार्ग है आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है । आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह कि यदि मकानात कुऐ आदि अधिग्रहण किये ही जाने हैं तो आज की कीमत एक अरब रुपये की मांग की है इसका मूल्यांकन का कोई आधार नहीं दिया है न ही उक्त सम्पत्ति सभी प्रकार निर्विवाद रूप से उनकी हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है । विभाग की जानकारी के अनुसार जो भूमि बताई जा रही है उसका आवंटन निरस्त किया हुआ है ।

[illegible] सिंह आदि आपत्तिकर्ता ने [illegible] लीज को अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया है जो कि स्वीकार नहीं है जैसा कि पूर्व में [illegible] दिये जा चुके हैं । लीज कभी भी निरस्त की जा सकती है तथा इसका नवीनीकरण भी आवश्यक नहीं है । आपत्तिकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि यह रक्षित वन क्षेत्र है और [illegible] रक्षित वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है । [illegible] निर्धारित सभी प्रक्रिया पूर्ण कर रक्षित वन घोषित किया गया है । [illegible] अंकित किये गये हैं । सर्वोच्च न्यायालय के 12-12-96 के [illegible] आदेश में कि [illegible] [illegible] भारतीय [illegible] सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों [illegible] कोई भी गैर वानिकी कार्य भारत सरकार की स्वीकृति के बिना [illegible] किया जा सकता है एवं 1980 के पश्चात बिना अनुमति के गैर वानिकी [illegible] है । आपत्तिकर्ता के बिन्दु सं0 2 पर भी पूर्व में विचार [illegible] है । बिन्दु संख्या 3 [illegible] इस प्रकार आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है । [illegible] क्योंकि भारत सरकार की अभी तक कोई स्वीकृति नहीं आई है । [illegible] 1000 मीटर [illegible] राज्य पर अभ्यारण की सीमा 1000 मीटर से [illegible] यह अभ्यारण राजस्थान, उत्तरप्रदेश व मध्य प्रदेश के [illegible] कोटा बैराज व केशोरायपाटन से धौलपुर तक है । आपत्तिकर्ता का [illegible] [illegible] किलोमीटर पर है । [illegible] सही नहीं है कि खान के निकट नदी [illegible] किलोमीटर [illegible]

की स्थापना घड़ियाल व मगरमच्छ के अतिरिक्त अन्य वन्य जीव जो नदी में पाये जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां, कछुए, जलमानुष व वनस्पतियों के संरक्षण तथा 1000 मीटर तक की दूरी इन वन्य जीवों के शांतिपूर्वक वन्य जीवों के लिए आवश्यक है। अन्यथा इन जीवों का शांति पूर्वक विचरण असंभव हो जायेगा। अभ्यारण स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 1000 मीटर दूरी में चम्बल नदी का सम्पूर्ण पर्यावरण संयुक्त रूप से सुरक्षित रखना आवश्यक है किसी भी जीव को अकेले संरक्षित नहीं किया जा सकता है, 1000 मीटर की दूरी में बघेरे, रीछ, सियार, अजगर, सहित अनेक शिड्यूल-I के वन्य जीव विचरण करते हैं और रहते हैं। यह मान लेने पर भी कि घड़ियाल या क्रोकोडाइल 200 मीटर आगे नहीं बढ़ेगा अभ्यारण की आवश्यकता कम नहीं होती है। वैसे मगरमच्छ नदी के बाहर विचरण करते पाये जाते हैं। कोई भी क्षेत्र वन्य जीवों के लिए अनुपयोगी नहीं होता है। एक न एक प्रकार के जीव विचरण तो करते ही रहते हैं। ग्रीन बेल्ट घोषित होने से खनन का न होना और भी आवश्यक है। यह क्षेत्र बायलोजिकल पार्क बनाने के लिए चयन किया हुआ है। खनन की अनुमति देना उचित नहीं है।

प्राप्त आपत्तियों में ग्रामीणगण कोलीपुरा अर्फ सापुरा, ग्रामीणगण ...पुरा बस्ती, रामानन्द सरस्वती अध्यक्ष ...कुमारी ... लोक ... ट्रस्ट की 3 आपत्तियां अधिसूचना की अवधि दिनांक 17-12-97 समाप्त हो जाने के पश्चात दिनांक 18-12-97 को प्राप्त हुई हैं जो अवधि बाहर हैं। आपत्तियों के साथ आपत्तिकर्ताओं ने कोई दस्तावेज, नक्शा, राजस्व रेकार्ड की प्रतियां, प्रमाण पत्र आदि पेश नहीं किये हैं। इसलिए आपत्तियां अस्वीकार फरमाई जावें। प्रत्येक आपत्तियों की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं लिखित ... भी पेश की जा चुकी हैं। आपत्तियां निरस्त फरमाई जावें।

हमने आपत्तिकर्ताओं एवं विभागीय प्रतिनिधि ... को सुना ... पर ... किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

आपत्तिकर्ताओं के सामान्य रूप से हमारे सामने जो तथ्य आये हैं वो इस प्रकार हैं :-

ग्रामवासी गिरधरपुरा ने गांव गिरधरपुरा को ऐतिहासिक गांव होना तथा स्टेट टाईम में कभी तहसील होने का तथा अवशेष अभी भी मौजूद होना बताते हुऐ बस्ती को न हटाये जाने का तर्क दिया है। इसके साथ ही जो आपत्तिकर्ताओं द्वारा कथन किये हैं उनमें गांव की बस्तियों को नहीं हटाया जाना, रास्ते पगडंडी, सार्वजनिक स्थलों, खाते की भूमि पर से बेदखल नहीं करना, ... एवं उनके उपयोग उपभोग करने का अधिकार देने का अनुरोध किया है। ... पेश किये गये तथा उन पर ... स्थिति कायम रखी जावे। ... में ... आपत्ति पेश की है ... करने की कृपा करें। आपत्तिकर्ता जो खनन कार्य के बाबत

--15/-

उनका कहना है कि खनन कार्य से [illegible] नहीं होगी । [illegible]
कार्यवाही चल रही है करीब 485 [illegible] [illegible] । राज्य स्तर पर
हुई हैं । अभी कोटा जिले में कोई स्वीकृति नहीं हुई है । [illegible] खनन की स्वीकृतियां
आपत्तिकर्ताओं ने अभयारण्य कायम रखे जाने का अनुरोध किया और अभयारण्य
बनाना उचित एवं आवश्यक बताया है ।

जवाहर सागर अभयारण्य की घोषणा सन् 1975 में की गई थी
तथा राजस्व (ग्रुप-8) विभाग की अधिसूचना एफ (3) (58) (3) रेव/6/75/ दिनांक
9-10-75 राजस्थान सरकार के गजट दिनांक 23-10-75 में प्रकाशित हुई है ।
दर्रा अभयारण्य की घोषणा 7-11-55 को अधिसूचना संख्या [illegible]/एफ-39/
(2) फोरे. /55/ वन विभाग की पूर्व में जारी हो चुकी है तथा वन्य जीव सुरक्षा
अधिनियम संशोधित 1991 में की धारा 66(3) एवं धारा 4 के तहत पूर्व से ही
सेन्चुरी घोषित किया हुआ है । घड़ियाल अभयारण्य की घोषणा 16-7-83 को
हो चुकी है । उन्हीं सन्दर्भों में उक्त तीनों अभयारण्यों की वन्य जीव सुरक्षा
अधिनियम 1972 की धारा 21 की अधिसूचना दिनांक 17-10-97 को जारी
कर आपत्तियां मांगी गई हैं । भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की
धारा 18 के अनुसार अभयारण्य सीधे ही घोषित किया जाता था एवं सीमाओं
का निर्धारण कर सीमाओं का विवरण धारा 18 की [illegible] में कर दिया
जाता था । इसी प्रक्रिया के द्वारा सन् 1975 में जवाहर सागर अभयारण्य की
घोषणा की गई थी । सन् 1991 का अधिनियम [illegible] संशोधित द्वारा धारा [illegible]
सम्बन्ध में इस अभयारण्य पर लागू नहीं होता है ।

आपत्तियों का क्षेत्र आरक्षित वन में आता है जिसे अन्तर्गत
राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 5 व 23 के अनुसार आरक्षित वन
घोषणा के पश्चात कोई नये अधिकार इस क्षेत्र पर अर्जित नहीं किये जा सकते ।
चूंकि आपत्तिकर्ताओं को आरक्षित वन घोषित करते समय खनन का अधिकार
नहीं दिया गया था इसलिए अब कोई अधिकार दिया जाना संभव नहीं है ।
भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 20 के
[illegible] कोई नये [illegible]

[illegible] 1972 की धारा 20 [illegible]
है ।

[illegible] भारतीय [illegible] अभयारण्य घोषित हो जाते हैं । [illegible]
(18) के अनुसार [illegible] (4) के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया [illegible]
[illegible] धारा 18 के [illegible]
है [illegible] अभयारण्य घोषित माने जायेंगे । [illegible]
है यह 26 [illegible] अधिकार नहीं है ।
के आपत्तिकर्ताओं के [illegible] आदेश दिनांक 22-8-97 में [illegible]
[illegible] न्यायालय ने [illegible] आदेश [illegible] के लिए [illegible] को [illegible]

--16/-

यह आदेश दिया है कि गैर [illegible]

...कुयाओं को कठोर बनाने के लिए विधान सभा में प्रस्ताव रखने से पूर्व भारतीय ... जांच सलाहकार मण्डल की राय की शर्त को जोड़ दिया गया है। अतः ... आपत्तिकर्ताओं का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उनके ... ...या जाये। विधानसभा में प्रस्ताव रखने का प्रावधान 26-... में है।

आपत्तिकर्ता ...लाल ने अपनी भूमि होने के सम्बन्ध में ... 2053 की नकल जमाबन्दी की प्रति अपनी आपत्ति के साथ पेश की है। ... आपत्ति 1955 अथवा 1972 के बहुत बाद की है। धारा 20 के अनुसार 1972 के बाद अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। भूमि अवाप्त करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। आपत्तिकर्ता ...मोहनलाल गौड ने अपनी आपत्ति के साथ कोई राजस्व अभिलेख की प्रति पेश नहीं ... पुष्टि स्वरूप स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। ग्रामवासियान दामोदरपुरा ने मंदिर के अधिकार स्वीकार करने की प्रार्थना की है ... मंदिर ... से सम्बन्धी बिन्दु भी अभिलिखित किया है। मंदिर को ... में ... सम्बन्धी बिन्दु वन विभाग से संबंधित नहीं है। अधिकतर आपत्तिकर्ताओं ने अपनी आपत्ति की पुष्टि में शपथ पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं ... है। अभयारण्य में भेड़ों के प्रवेश को निषेध करने के साथ साथ अभयारण्यों की ... ...बताया है। इन कथनों पर वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा विस्तृत ... से तर्क पेश किये हैं जिनके आधार पर अभयारण्यों की सीमायें सिकोड़ा जाना उचित नहीं रहेगा। दरा अभयारण्य प्रथम घोषित होने वाले अभयारण्यों में से है। ... बघेरा, सियार, लोमड़ी, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, मगरमच्छ, अजगर ...न्य वन्य जीव ... विचरण करते हैं। इनकी गणना भी वन विभाग के ... कराई जाती है।

प्राप्त आपत्तियों में कुल 3 आपत्तियां दिनांक 18-12-97 को ... दिन के विलम्ब से प्रस्तुत हुई हैं। प्रस्तुत आपत्तियों का विलम्ब ऐसा ... ...जिसे कन्डोन नहीं किया जा सकता। आपत्तियों के तथ्यों को ध्यान में ... आदेश में लिया जाना उचित प्रतीत होता है। ... आपत्ति पेश करने ... दिन के विलम्ब को कन्डोन किया जाता है और यदि कोई विलम्ब ... है तो क्षमा किये जाने योग्य बनाता है।

... राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य में चम्बल नदी से 100 मीटर तक ... की सीमा की गई है जिसमें किसी भी जीव को अकेले संरक्षण नहीं ... ...। इस सीमा में अनेक वन्य जीव बघेरा, रीछ, चिंकारा आदि ... ...रण करते हैं संरक्षण रहते हैं। ... क्षेत्र में ... ... में हो जाता है और वे आवास स्थल छोड़कर ... जाते हैं। ... ...र जाते हैं। ऐसी स्थिति में अभयारण्य में ... उत्पन्न करने वाले ... ...दावे/अधिकार को स्वीकार किया जाना उक्त परिस्थिति में ...

...ता है । खनन अधिकार/पट्टा कोई अधिकार नहीं होता है । खनन कार्य का ... अधिकार राज्य सरकार में निहित है । खनन पट्टे ... राज्य सरकार कभी भी निरस्त कर सकती है । इसके नवीनीकरण को रद्द कर सकती है और उसके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार बाध्य भी नहीं है । ... 1980 में घोषित भारतीय वन्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वन क्षेत्रों का ... वानिकी, उपयोग भारत सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता ... है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन संख्या 337/95 में पारित निर्णय दिनांक 22-8-97 के अनुसार अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के ... क्षेत्र के खनन अथवा अन्य कार्य के लिए प्रस्ताव विधान सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व भारतीय वन्य जीव सलाहकार मण्डल की अनुमति आवश्यक है । प्रस्तुत आपत्तियों में राजस्थान राज्य विधान सभा में अभयारण्य ... किसी क्षेत्र को खनन अथवा अन्य कार्य के लिए ... प्रस्ताव प्रस्तुत होकर स्वीकृति विधान सभा की ओर से प्राप्त नहीं हुई है और न ही किसी आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेशानुसार स्वीकृत प्रस्ताव की प्रति आपत्ति के साथ प्रस्तुत नहीं की है ।

अतः सरिस्का अभयारण्य में 23-10-75, दर्रा अभयारण्य में 1-9-75 तथा राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य में 16-7-83 के पश्चात् किसी भी आपत्तिकर्ता... को नये अधिकार दिया जाना अथवा खनन कार्य सम्बन्धी किसी अधिकार की स्वीकृति अभिलिखित करना नियमों के/प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । ... में वन प्रबन्ध के दौरान दिये गये अधिकारों के अतिरिक्त कोई अधिकार दिया जाना उचित नहीं रहेगा । इसी आधार पर आपत्तियों के निराकरण का आदेश पारित करना उचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ... निष्कर्ष पर पहुँचते ... सरिस्का/सागर वन्य जीव अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य ... की घोषणा उचित एवं आवश्यक है तथा अधिसूचना ... सीमाओं को ... किया नहीं जा सकता है । वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 21 की ... उद्घोषणायें जारी की गई हैं । इन ... वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 (1) के तहत प्राप्त हुई कतिपय आपत्ति के आधार पर ... उपभोग हेतु अधिकारों का निर्धारण करते हुए, निम्न ... अभिलिखित करते हुए आदेश ... पारित किया जाता है -

1- अभयारण्यों में ...

2- पंचायतों को ... अधिकारों ... ओर ... अधिकार उपभोग ... होगा ।

3- विद्यालय/चिकित्सालय अथवा अन्य र[illegible]य गैर सरकारी संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग हेतु आवंटित या अन्य किसी खाते क[illegible] के अवकाश से वंचित नहीं किया जाता है ।

4- कोई भी खातेदार अपने खाते की भूमि को विक्रय कर सकेगा । विक्रय करने हेतु अथवा क्रय करने हेतु खाते की भूमि के लिए वन विभाग की किसी भी स्वीकृति अथवा अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु यह केवल कृषि कार्य के अलावा अन्य किसी प्रयोजनार्थ नहीं होगा । [illegible] कृषक भूमि का कृषि हेतु क्रय करने का अधिकारी होगा । [illegible] कृषक [illegible] माना जायेगा जो भूमि [illegible] कानून के अंतर्गत परिभाषित है ।

5- आने जाने के मार्ग पगडंडियों, सड़कों पर आने जाने का [illegible] आवागमन का अधिकार दिया जाता है ।

6- धार्मिक स्थल, [illegible] स्थानों पर [illegible] से किसी को [illegible] नहीं [illegible] जायेगा ।

7- किसी भी भूमि का वन विभाग की अनापत्ति पर राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर [illegible] करने का अधिकार होगा ।

8- अभयारण्यों में किसी के हक हकूक की भूमि को [illegible] रखना [illegible] में उचित मुआवजा दायकर अथवा आपसी समझौते के आधार पर मुआवजा देकर भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत की जा सकेगी ।

व्यावसायिक प्रकृति के कार्य के लिए कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है ।

10- भविष्य में नियमानुसार अन्यत्र विस्थापित करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा ।

11- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-12-96 के अनुसार [illegible] गैर वानिकी कार्य जिसमें खनन कार्य भी सम्मिलित है वर्जित होगा ।

12- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22-8-97 के अनुसार अभयारण्य एवं [illegible] बनने अथवा [illegible] लिए बाहर निकालने सम्बन्धी प्रस्ताव विधान सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व भारतीय [illegible] जीव सलाहकार मण्डल की अनुमति आवश्यक होगी ।

[illegible] खनन सम्बन्धी सभी अधिकार [illegible] राज्य सरकार में निहित है । अतः खनन सम्बन्धी कार्य हेतु कोई भी [illegible] नहीं दिये जाते हैं ।

14- जवाहर सागर [illegible] अभयारण्य [illegible] अभयारण्य [illegible] राष्ट्रीय [illegible] अभयारण्य की [illegible] भी [illegible] नहीं किया जाता है [illegible]

[illegible] अधिकारों का उपयोग उपभोग, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अधीन किया जायेगा । [illegible] अधिकार जवाहर सागर अभयारण्य में क्रमशः वन्य जीव अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य एवं [illegible] राष्ट्रीय [illegible] अभयारण्य में [illegible]

दिनांक 23-10-75, 1-9-73 व 16-7-83 ... प्राप्त अधिकारों पर आ... 855

... रहेंगे।

उपरोक्त निर्णय के पश्चात इन अन्य जीवों का सुरक्षा एवं पारिस्थितिक विकास हेतु निम्नलिखित सी आदेश पृथक से प्रसारित करना आवश्यक है :-

1- जवाहर सागर अभयारण, दरा अभयारण व राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण के पारिस्थितिक विकास (इकोडेवलपमेन्ट) हेतु पृथक से परियोजनायें बनाकर राज्य सरकार या भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे एवं इको डेवलपमेन्ट प्लान स्वीकृत कराया जाकर तीनों अभयारणों का पारिस्थितिक विकास सुनिश्चित किया जावे।

पारिस्थितिक विकास हेतु सामाजिक (सोशियल) तथा तकनीकी (Technical) ... ... प्रक्रियायें एवं ... सहायता (... प्रोसेस एवं ...) ... सुचारु रूप से चल सके, साथ ही साथ ग्रामवासियों की आजीविका का सम्मानजनक एवं अभयारणों के लिए हानि रहित ... उपलब्ध कराने ... हों।

2- विस्तृत पारिस्थितिक विकास परियोजना के प्रारम्भ होने के पश्चात ... ... पूर्व ही जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण, दरा अभयारण व राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण के संबंधित क्षेत्रों को राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जावे। साथ ही तत्संबंधित प्रबन्ध योजना एवं इकोडेवलपमेन्ट प्लान लागू किया जावे।

(उपरोक्त बिन्दुओं के सन्दर्भ में राज्य सरकार उचित समय पर निर्णय लेकर अनुपालना सुनिश्चित करेगी)

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त ... ... के ... अधिकार उक्त तिथियों को प्राप्त अधिकारों के अनुरूप ही रहेंगे। इनके अतिरिक्त ... अधिकार जो ... ... अभयारणों की घोषणा तिथियों पर प्राप्त जिसी के ... भी हक हकूक पर किसी प्रकार का ... किया जाता है ... अभयारण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जावे को प्राप्त हक-हकूक यथावत रहेंगे। उक्त अभयारणों के क्षेत्रों में वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा प्रदत्त अधिकार भी यथावत रहेंगे।

निर्णय की ... प्रतिलिपि ... ... को ... ... कार्यवाही हेतु ... ...

निर्णय आज दिनांक 21-8-98 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर ... न्यायालय में सुनाया गया।

... ...

(हस्ताक्षर)
(एस०एस० ...)
जिला कलेक्टर
कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक :राजस्व/98/ 1909 दिनांक

प्रेषिति,
मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान -- ज य पु र -।

विषय:- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दि. 22.8.97
की अनुपालना के सन्दर्भ में ।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ 4(ट) विविध/मुवजीप्र/97
2232-47 दिनांक 18.2.98

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व सचिव (ग्रुप-8) विभाग राज. सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(12)रेवे/8/78 दि0 16.7.83 के क्रम में प्रासंगिक पत्र के निर्देशानुसार राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य के सन्दर्भ में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी कर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है :-

राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.7.83 से राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य हेतु निम्नांकित सीमाक्षेत्र की अधिसूचना जारी की गई थी-

जवाहर सागर बांध से कोटा बैराज तक का चम्बल नदी का वह
1. अनुभाग जिसका प्रवाह दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, इसमें नदी के दोनों ओर के किनारों से 1000 मी0 की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी भी सम्मिलित है ।

केशोरायपाटन से पाली तक का चम्बल नदी का अनुभाग इसमें नदी
2. के दोनों ओर के किनारों से 1000 मी0 की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी सम्मिलित है ।

पाली से आगम जहां चम्बल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों
3. के बीच सीमा बनाती है, वहां नदी का मध्य धारा से आये किनारे तक तथा नदी के आगे किनारे के साथ साथ राजस्थान उ0प्र0 और म0प्र0 राज्यों के विभाजक बिन्दु तक का 1000 मी. की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी।उक्त अधिसूचना पूर्व में राजस्व विभाग की वन
संरक्षण अधिसूचना दिनांक 7.12.79 के अतिक्रमण से जारी की गई है ।

इसी क्रम में इस कार्यालय द्वारा एक उद्घोषणा क्रमांक एफ0-5(13)रेवे/9
दिनांक 20.10.97 अन्तर्गत धारा 21 वन्य(संरक्षण) अधिनियम 1972 जारी कर उक्त वर्णित राष्ट्रीय घड़ियाल=अभ्यारण्य=की=सीमा=में=आने=वाले= ...2

घडियाल अभ्यारण की सीमा में आने वाले एवं निकटवर्ती ग्राम जो बून्दी जिले में स्थित है के विभिन्न व्यक्तियो को अधिसूचित कर उदघोषणा के जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि में आपत्तियां/दावे ... लिखित में अपने अधिकार एवं उनकी प्रकृति का स्पष्ट विवरण करते हुये मय साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया ।

राष्ट्रीय घडियाल अभ्यारण में आने वाले ग्रामों के सम्बन्धित तहसीलदारों को मौका निरीक्षण कर तथा राजस्व रेकार्ड की जांच कर अभ्यारण क्षेत्र में ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये । इसके अतिरिक्त निर्धारित अवधि में प्राप्त दावे/ आपत्तियो की प्रतिलिपियां सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा को प्रेषित कर उनसे अपना अभिमत एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया । उपवन संरक्षक द्वारा बाउजूद कई स्मरण पत्रों के कोई अभिमत प्रस्तुत नहीं किया है। उपखण्ड अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 16.3.98 को प्रस्तुत किया जिसमें अभिमत व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तावित सीमा क्षेत्र में चम्बल नदी से 1000 मी० की परिधि में आने वाले ग्रामों को अभ्यारण सीमा क्षेत्र से मुक्त रखा जाना ही उचित है। तथा साथ ही तहसीलदार के.पाटन एवं इन्द्रगढ ने अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले गांवोकी भूमियों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

न्यायहित में आपत्तिकर्ताओं को तथा वन विभाग की ओर से उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा को नोटिस जारी कर इस न्यायालय में सुनवाई की गई, साथ ही राजस्व रिकार्ड के अवलोकन की दृष्टि से सम्बन्धित तहसीलदारों को भी ववक्त सुनवाई न्यायालय में रिकार्ड सहित उपस्थित रखा गया ।आपत्तिकर्ताओं का कथन है कि अधिसूचित क्षेत्र में उनके खाते एवं कब्जे की भूमि शामिल है जिस पर वे पीढियों से बहेसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा यह भूमि ही उनके परिवार के भरण पोषण का एक मात्र साधन है इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ताओं ने यह भी निवेदन किया हैकि यदि उनकी भूमि को घडियाल अभ्यारण हेतु अधिसूचित किया गया तो उनके परिवारो का जीवीकोपार्जन का अन्य कोई साधन नहीं रह जायेगा ।

इस संदर्भ में वन विभाग के प्रति-निधि उपवन संरक्षक का कथन है कि आपत्तिकर्ताओं का खातेदारी अधिकार/आवंटन अधिसूचना की तिथि के पश्चात प्राप्त होने से आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति स्वीकार्य योग्य नहीं है।

...3

हमने तहसीलदारों द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया एवं आपत्तिकर्ताओं एवं वन विभाग के प्रतिनिधि के कथन पर मनन के पश्चात यह जाहिर हुआ है कि राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण हेतु अधिसूचना ग्रामों की भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	तहसील	गांव का नाम	खातेदारी	चरागाह	सिवाय (हैक्ट.)	अन्य
1.	के. पाटन	गुडला	34.93	32.93	12.88	1.18
2	"	गुडली	43.78	–	13.30	2.28
3.	"	पटोलिया	25.17	35.61	5.09	1.33
4	"	केशोनगर	132.37	8.23	42.60	13.34
5.	"	लाखेरीखुर्द	117.32	55.74	116.73	5.35
6	"	जगन्नाथा	~~xxx~~ 95.56	–	12.61	–
7	"	जाखल्न	87.38	–	50.40	–
8.	"	जगदरी	59.71	1.06	9.06	364.60
9.	"	टाकरवाडा	114.64	–	80.70	100.56
10	"	देवली	11.51	52.28	–	–
11	"	आजन्दा	1.26	61.63	12.29	–
12	"	नोमोठा	213.69	41.06	14.02	22.82
13	"	बालिया	178.18	–	34.80	13.56
14	"	पीपल्दा जागीर	15.49	–	146.27	45.13
15	"	नोताडाघोराज	35.91	–	24.53	3.26
16	"	रोटेदा	130.95	–	362.15	0.62
17	"	खेडलोबंधा	47.17	–	115.48	20.37
18	"	के. पाटन	203.24	–	149.64	–
19.	"	बालोद	33.97	–	18.76	143.69
20	"	ढोकोली	30.96	–	156.19	146.89
21	"	खेडलीव्यासान	11.22	25.74	56.55	–
22.	"	बीरज	62.62	12.36	239.65	75.07
23	"	खेडली	101.24	11.77	16.52	10.94
24	"	तूनगर	355.60	25.89	375.77	–
25	"	डोलर	288.71	–	138.90	266.28
26	"	झरनोया	8.44	–	50.02	80.19
27	इन्द्रगढ	घाटका बराना	101.00	54.40	35.96	–
28	"	छपायता	114.17	30.76	42.09	–
29.	"	कोटडी	126.51	2.09	30.28	–
30.	"	बल्देवपुरा	118.15	38.87	77.34	–

31.	इन्द्रगढ	चढीचा	112.02	64.12	110.30	–
32	,,	कोटाखुर्द	116.00	–	181.64	–
33.	,,	गोहाटा	–	–	208.78	–
34	,,	खाटका	72.12	3.20	71.91	–
35	,,	बगंली	50.20	–	230.12	–
36.	,,	बह्डावली	53.49	–	228.13	–
37.	,,	माखीदा	97.14	90.00	267.86	–
38.	,,	पीपल्दा	318.00	–	142.00	–
39.	,,	बसवाड़ा	391.91	–	107.18	–
40	,,	सहनपुर	106.52	–	112.11	–
41.	,,	चाण्दाकला	124.14	1.00	72.46	–
42.	,,	चाण्दाखुर्द	124.77	–	13.83	–
43.	,,	डाबरली	42.31	–	69.41	–
44.	,,	खेड़लीखुर्द	70.30	–	5.20	–
45.	,,	मुरजातपुरा	1000 मी. की परिधि से बहार गैर आबाद है ।			
46.	बून्दी	बगचम	–	–	–	–
47	,,	जवाहरसागर	–	–	–	–
48	,,	खड़ीपुर	–	–	–	–
49.	के0पाटन	ईश्वरनगर	–	–	–	–

उक्त स्थिति के अवलोकन से यह जाहीर होता है कि तहसील के0 पाटन के 26 ग्रामों में जो कि प्रस्तावित घड़ियाल अभ्यारण्य के अधिघोषित क्षेत्र से 1000 मि0 ﴾। कि.मी﴿ की परिधि में है का कुल रकबा 6405.93 हेक्टर में से 2441.02 हेक्टर रकबा खातेदारी की भूमि का 2315.87 हेक्टर रकबा सिवायचक भूमि का तथा 74.88 रकबा सिंचाई विभाग के खाते में है तथा 381.88 हेक्टर चरागाह भूमि है मात्र 1242.78 हेक्टर रकबा ही वन विभाग के खाते में दर्ज है ।

इसी प्रकार तहसील इन्द्रगढ के 18 गांव जो कि अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते है कुल रकबा 4646.43 हेक्टर में से 2348.17 हेक्टर भूमि खातेदारी की है तथा 57.28 आबादी की एवं 25.50 हेक्टर भूमि रास्ते की भूमि है तथा 291.37 हेक्टर भूमि चरागाह भूमि है । प्रस्तावित ग्राम मुरजादपुरा चम्बल नदी से 1000 मी. की परिधि से बाहर स्थित है तथा गैर आबाद ग्राम है । इसी प्रकार तहसील बून्दी क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम जवाहर सागर में भी 1000 मी. का परिधि। क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र में भी कुल रकबा 8363 बीघा 5 बिस्वा भूमि वन विभाग के खाते दर्ज है किन्तु इसमें गांव की आबादी बसी हुई है एवं जवाहर सागर डेम बना हुआ है जिससे बिजली का उत्पादन होता है । इसलिए जवाहर सागर ग्राम को तो इस अभ्यारण्य सीमाक्षेत्र से पूर्णतया मुक्त रखा जाना ही उचित है । इसके अतिरिक्त ग्राम खड़ीपुर व बगचम में नदी से एक किलोमीटर की परिधि की क्रमशः 3856 बीघा 13 बिस्वा व 5767 बीघा 14 बिस्वा भूमि वन विभाग के खाते दर्ज है इसे अभ्यारण्य सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है ।

इस प्रकार उक्त वर्णित विवेचन यह स्पष्टतः दृष्टिगोचर है कि
प्रस्तावित ग्रामों का लगभग 50% रकबा वहां के निवासियों को आदिवासी
भूमि में है जिस पर निवासीगण पीढ़ियों से खेती कर अपने परिवार का
भरण पोषण करते चले आ रहे है तथा साथ ही सिवायचक एवं चरागाह
भूमियों का भी कृषि पशु चराई रास्ते एवं ईंधन व कृषि औजारो हेतु
लकड़ी प्राप्त करने के लिये सुखाचार के रूप में पीढ़ियों से उपयोग/उपभोग
करते आ रहे है, इसके अतिरिक्त प्रस्तावित ग्रामों की सिवायचक एवं
चरागाह भूमियों में पुराने समय से ही रास्ते बने हुऐ है जो कि वहां
के निवासियों के आवागमन के लिए पीढ़ियों से प्रयोग किये जाते रहे है
कई ग्रामों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सिवायचक भूमि पर आबादी
भी बसी हुई है एवं आगामी समय में ग्राम के विकास एवं आबादी के विस्तार
की दृष्टि से भी भूमि की उपलब्धता आवश्यक प्रतीत होती है। यदि
प्रस्तावित ग्रामों के निवासियों की समस्त भूमि को घड़ियाल अभ्यारण्य
हेतु आरक्षित घोषित कर दिया जाता है तो ग्रामवासियों की जीविकोपार्जन
का साधन समाप्त हो जाने से बेरोजगारी बढ़ेगी तथा पुनर्वास की
समस्या के साथ साथ जन आक्रोश भी उभरेगा । यहां यह भी उल्लेखनीय
है कि अधिसूचित क्षेत्र में शहरी क्षेत्र एवं आबाद गावों को सम्मिलित करना
अतार्किक एवं अव्यवहारिक है यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि सदियों
से सभ्यता के पूर्व से ही गांव नदियों के किनारे ही बसते चले आ रहे है,
400 वर्ष से पूर्व के बसे ऐसे ग्रामों को नदी के किनारे की पास की 1000 मी0
की भूमि को अभ्यारण क्षेत्र घोषित करना कतई उचित नहीं है दूसरी ओर
यह भी विचारणीय बिन्दु है कि चम्बल नदी बहुत गहरी नदी है इसके किनारे
इतने ऊंचे है कि घड़ियाल नदी से बाहर निकल कर किनारे के 1000 मी. की
परिधि क्षेत्र में न तो विचरण कर सकेंगें और नही प्रजनन, वैसे भी यह प्रस्तावित
अभ्यारण घड़ियाल अभ्यारण है यदि प्रस्तावित सीमा क्षेत्र से वन विभाग के
खाते की भूमि के अलावा शेष भूमि को मुक्त भी कर दिया जाता है तो भी
घड़ियालो के संवर्धन/प्रजनन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
मौका निरीक्षण से यह बात भी स्पष्ट हुई है कि प्रस्तावित सीमा क्षेत्र में चम्बल
नदी से 1000 मीटर परिधि क्षेत्र में पड़ने वाले गांवो के किसान अत्यधिक
विषमता की स्थिति में जीवन यापन कर रहे है क्योंकि चम्बल नदी के क्षेत्र
के अन्य गांवों में तो सिंचाई नहरो से हो जाती है किन्तु यह गांव टेल
पर होने के कारण सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था नहीं है, यह कारण है कि
इस क्षेत्र के कृषक इस नदी में पानी कम होने पर सदियों से खरबूजे, ककड़ी की
पैदावार कर तथा पेटा काश्त भूमि पर खेती कर अपना गुजर बसर करते है।
इतना ही नहीं नदी की रेत जो कि इस इलाके में भवन निर्माण में प्रयोग
में लाई जाती है भी इस क्षेत्र के निवासियों की आय का साधन है। यहां
व वक्त मौका निरीक्षण एक तथ्य और दृष्टि गोचर हुआ है कि
प्रस्तावित क्षेत्र की चम्बल नदी के एक किनारे पर बून्दी जिला व दूसरे
पर कोटा जिला प्रारंभ है यहां पुलिया नहीं है इसमें आवागमन का
मुख्य साधन नाव ही है जब नदी में पानी नही होता है तो जन साधारण
बैलगाड़ी से इस मार्ग से आवागमन करते है।

बकाया सुनवाई एवं मौका निरीक्षण ग्रामवासियों ने यह भी जाहिर किया कि आम तौर पर घड़ियाल की जीवन यापन शैली यही है कि वह नदी में ही पनपते है घड़ियाल नदी के किनारे से 1 किमी0 की परिधि में प्रायः विचरण नहीं करते है और नहीं प्रजनन करते है। ऐसी स्थिति में नदी के किनारे से 1 किमी0 परिधि क्षेत्र को अभ्यारण हेतु सीमा क्षेत्र घोषित किया जाना भी उचित नहीं होगा। इसके साथ ही ग्रामीणों का यह भी तर्क है कि यदि हमारे ग्रामों को अभ्यारण सीमा क्षेत्र घोषित कर दिया तो ग्रामवासी पूर्णतया वन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों की दया पर निर्भर हो जावेंगे। तथा स्वतंत्रता पूर्वक कृषि एवं अन्य सुखाचार के अधिकारों का उपयोग/उपभोग नहीं कर पावेंगें।

निष्कर्षतः उक्त विवेचन से हम यह मानते है कि चम्बल नदी से 1 किमी. परिधि क्षेत्र में आने वाले तहसील के पाटन/इन्द्रगढ़ एवं बून्दी के उपरोक्त वर्णित ग्रामों को राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण सीमा क्षेत्र से पूर्णतयाः मुक्त रखा जावे। तथा उक्त अभ्यारण की सीमा क्षेत्र वही भूमि रखी जावे जो पूर्व से वन विभाग के खाते में चली आ रही है और इसमें भी ग्रामवासियों के पूर्व से चले आ रहे सुखाचार के अधिकार जिनमें नहाना, पशु चराई, नाव चलाना, पेटा काश्त करना तथा रेत निकालना, रास्ता आदि प्रमुख है कृषकों के पास सुरक्षित रखे जावे।

इस संदर्भ में यह व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है कि जब कभी भी जिले में वन विभाग को वन विभाग की भूमि के बदले में राजस्व भूमि स्थानान्तरण करने का प्रकरण आवे तब प्राथमिकता के आधार पर इस राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की नदी के 1000 मीटर परिधि क्षेत्र की सिवायचक व चरागाह भूमि को ही स्थानान्तरित किया जावे। ताकि घड़ियालों अभ्यारण हेतु भूमि की उपलब्धता हो सके।

इस संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई उपरान्त निर्णय अन्तर्गत धारा 21(1) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 पारित किये गये है जिसकी प्रति अलग से प्रेषित की जा रही है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 22 बी के अन्तर्गत जांच रिपोर्ट प्रेषित है।

भवदीय,

जिला कलक्टर, बून्दी

कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधौपुर

क्रमांक एफ 2(8)अभयारण्य/राजस्व/77/ 2297

दिनांक 21/8/98

आदेश

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य के संदर्भ में उदघोषणा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2(8) अभयारण्य/राजस्व/77/ 3076 दिनांक 14.10.97 को जारी की गयी थी। इस उदघोषणा के जरिये पाली, नरवला, खेडी, मोहना, बन्जारी, अनियाला, सेवती-खुर्द सेवतीकला, धर्मपुरी, कौंटियार, कालाकांच, मोहब्बतपुरा, धीरोली, कर्मापुरा व गढी गावों में आने वाली भूमि की प्रास्थिति,, प्रकृति एवं अधिकारों के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई दावा (क्लेम) प्रस्तुत करना हो तो निर्धारित प्रपत्र में अपना दावा मय दस्तावेज उदघोषणा जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया था परन्तु निर्धारित अवधि के समाप्त होने तक निम्नांकित व्यक्तियों व्दारा निम्नानुसार दावे पेश किये गये:-

1) खसरा नम्बर 4 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा/ग्राम सेवतीखुर्द श्री/प्रभूनारायण पुत्र श्री ख्यालीराम शर्मा नि० सेवती खुर्द

2) खसरा नम्बर 30/2 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा ग्राम सेवतीखुर्द - ठाकुरजी श्रीगोपालजी विराजमान ग्राम सेवतीखुर्द जरिये पुजारी श्री विजयमोहनशर्मा

3) खसरा नम्बर 172/1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 172/1 मि0 रकबा 5 बीघा ग्राम गढी कुल 16 बिघा 7 बिस्वा चौथमल मीना पुत्र श्रीपा मीना हाल नि0 टी0वी0टावर के सामने आलनपुर(स० माधोपुर)

उक्त दावों के अलावा किसी अन्य व्दारा कोई दावा पेश नहीं किया गया है। प्राप्त दावों की जांच तहसीलदार सवाई माधौपुर से करवाई गई तहसीलदार सवाई माधौपुर ने बाद जांच प्राप्त दावों को घडियाल अभयारण्य क्षेत्र से एक हजार मीटर की परिधि में होना बताया है। अतः दावें स्वीकार किये गये तथा निर्णय लिया गया कि दावेदारों को हक हकूक खातेदारी अधिकार नियमानुसार बने रहेंगे तथा वन विभाग व्दारा भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत नियमानुसार अधिग्रहण के पश्चात ही दावेदारों के हक हकूक समाप्त किये जा सकेंगें। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता व्दारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 24(1) के तहत निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

राजस्व गांव होने के कारण वन बन्दोबस्त नहीं किया गया एवं कोई अधिकार देय नहीं है।

.....2...

1- राजस्व भूमि पर ग्रामवासियों तथा पंचायतों को 14.10.97 को प्राप्त सार्वजनिक तथा निजी अधिकार, जो कि राजस्व अभिलेखों में अंकित है वे यथावत रहेंगे परन्तु किसी भी प्रकार के क्रय विक्रय की सूचना उप पंजीयक व्दारा वन विभाग को दी जावेगी ।

2- 14.10.97 से पूर्व में विद्यमान रास्तों के अधिकार जो राजस्व अभिलेखों में अंकित है ।

3- धार्मिक स्थलों/पानी पीने के स्थलों पर 14.10.97 से पूर्व में विद्यमान अधिकार जो राजस्व अभिलेखों में अंकित है ।

4- वन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार को भूमि की किस्म में रूपान्तरण करने के अधिकार होंगे ।

5- कभी भी आवश्य में सरकार नियमानुसार उक्त जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है । इन सभी अधिकारों का प्रयोग वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धाराओं के अधीन किया जावेगा ।

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
दिनांक 21/8/

क्रमांक/सत/ 2297

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1- शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-8) विभाग राज0 जयपुर

2- मुख्य वन संरक्षक एवं वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक 98/10460"76 दि0 6.8.98 के क्रम में सूचनार्थ ।

3- क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना सवाई माधोपुर

4- उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

5- तहसीलदार, स.मा./खण्डार/ उप पंजीयक स.माधोपुर खण्डार

6- विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर/ खण्डार

7- सरपंच, ग्राम पंचायत ....

8- नोटिस बोर्ड कलक्ट्रेट / उप जिला कलेक्टर कार्यालय स0मा0पुर तहसील कार्यालय स0माधोपुर / खण्डार / पंचायत समिति स0माधोपुर/खण्डार

9- [illegible] शर्मा, [illegible] चौथमल [illegible]

10- गार्ड फाइल

11- सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी स0 मा0

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Cf to [illegible]